



दिनांक- 16.09.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अजनर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के

साथ अभियुक्ता को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अवैध शराब/जुआं के विरुद्ध अभियान के क्रम में कल दिनांक 15.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक अजनर श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम में उ0नि0 हीरासिंह मय हमराह व आबकारी टीम के साथ संयुक्त टीम बनाकर विजौरी डेरा ग्राम विजौरी से अभियुक्ता सिलोचना पत्नी मनीराम कबूतरा उम्र 45 वर्ष को एक प्लास्टिक के डिब्बे में अवैध 15 लीटर कच्ची शराब देशी महुआ के साथ हिरासत में लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 152/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

सिलोचना पत्नी मनीराम कबूतरा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कबुतरा डेरा विजौरी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम/आबकारी बल:-

1. उ0नि0 हीरासिंह
2. हे0कां0 बृजबिहारी भोडले
3. आबकारी निरीक्षक योगेश कुमार गुप्ता
4. कां0 आबकारी मुस्ताक उल्ला
5. महिला कां0 आबकारी संगीता देवी।





दिनांक- 16.09.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कोतवाली नगर पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अनिल सिंह द्वारा उ0नि0 तनवीर अहमद के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 509/2020 धारा 324/386/504/506 भादवि के वांछित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ लालजी महाराज पुत्र रमाकान्त उम्र 47 वर्ष को प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु मां0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 तनवीर अहमद 2. पीआरडी रामऔतार।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जितेन्द्र कुमार उर्फ लालजी महाराज पुत्र रमाकान्त उम्र 47 वर्ष निवासी प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास चूड़ी वाली गली महोबा थाना कोतवाली महोबा।





दिनांक- 16.09.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कुलपहाड़ व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा 60 लीटर अवैध शराब सहित 02 को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 16.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र०नि० कुलपहाड़ अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित टीम उ०नि० सुनील कुमार तिवारी मय हमराहियान एवं आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्ता (1) श्रीमती वन्दना पत्नी अरुण कबूतरा निवासी औनाडेरा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा (2) श्रीमती बतिया पत्नी जड्डा कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा रेलवे स्टेशन के पास बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को मय **04 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 60 लीटर कच्ची देशी शराब** सहित आई०टी०आई० के सामने

बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः **मु०अ०सं० 272/20 व 273/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्ताओ का विवरण-

- (1) श्रीमती वन्दना पत्नी अरुण कबूतरा निवासी औनाडेरा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।
- (2) श्रीमती बतिया पत्नी जड्डा कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा रेलवे स्टेशन के पास बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त टीम का विवरण-

- (1) उ०नि० सुनील कुमार तिवारी (चौकी इंचार्ज बेलाताल)
- (2) हे०कां० सूरज सिंह
- (3) कां० अमित सिंह
- (1) आबकारी निरीक्षक श्री योगेश कुमार गुप्ता
- (2) आबकारी कां० मुश्ताक उल्ला
- (3) आबकारी कां० सैय्यद इरशाद
- (4) आबकारी म०कां० संगीता देवी



दिनांक- 16.09.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त के दौरान चलाया गया सघन चेकिंग अभियान व लोगो को **कोविड-19** के प्रति किया गया जागरूक

आज दिनांक 16.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानो द्वारा पैदल गस्त के दौरान सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसके तहत होटल/ढाबा तथा संदिग्ध व्यक्तियो/वाहनो की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान लोगो को **कोविड-19** संक्रमण के बारे में बताया गया तथा जागरूक भी किया गया। लोगो को घरों से बाहर निकलने पर **मास्क लगाने व 02 गज की दूरी** बनाये रखने को कहा गया।





दिनांक- 16.09.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 20700/-रु0 का जुर्माना एवं यातायात नियमों के तहत किये गये ई-चालान

आज दिनांक 16.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन** पर समस्त थानों द्वारा **कोविड-19 के तहत 151 व्यक्तियों से 20100/-रु0** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर **20 ई-चालान, 01 वाहन सीज एवं 05 वाहनो से 600/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया।** जागरूकता अभियान के तहत लोगों को **नोवल कोरोना वायरस** के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा **मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी)** बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

